

मध्यप्रदेश शासन  
स्टेट कंट्रोल रूम  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल


क्रमांक<sup>241</sup>/अमुस/नघाविवि/निस/2020

दिनांक 01/06/2020

आदेश

वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाउन को शिथिल करने के दृष्टिगत राज्य शासन निम्न निर्णय लेता है :-

- (i) प्रदेश के किसी भी जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए किसी भी प्रकार के पास एवं अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ii) मध्यप्रदेश राज्य से बाहर जाने व मध्यप्रदेश राज्य में अन्य प्रदेश से आने के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iii) किन्तु किसी व्यक्ति को अपनी सुविधा के लिए ई-पास की आवश्यकता महसूस होती है तो वह [www.mapit.gov.in/COVID-19](http://www.mapit.gov.in/COVID-19) में सम्पूर्ण विवरण के साथ जानकारी भरते ही स्वमेव ई-पास जारी हो जायेगा जिसका प्रिंटआउट लेकर व्यक्ति यात्रा कर सकेगा।



(आई.सी.पी. केशरी)

अपर मुख्य सचिव  
मध्यप्रदेश शासन एवं  
प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम

पृष्ठां. क्रमांक<sup>242</sup>/अमुस/नघाविवि/निस/2020

दिनांक 01/06/2020

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, भोपाल।

2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, भोपाल।
  3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल।
  4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
  5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल।
  6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल।
  7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
  8. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
  9. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
  10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
  11. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
  12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मैप-आई.टी., भोपाल, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4  
Kushen'

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम